माननीय:- राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0 प्र0

रा0 पुनरीक्षण संख्या/- R 278-II/13

1/- बृजलाल कुशवाहा पुत्र सुन्ने कुशवाहा
2/- मुन्नी कुशवाहा पुत्र सुन्ने कुशवाहा
निवासीयान कचंनपुरा सतगुंवा तहसील लिधौरा जिला
टीकमगढ़ म0प्र0 ---------- पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1/- महिला फूला कुशवाहा पत्नि लछमन कुशवाहा
2/- महिला सोमवती कुशवाहा पत्नि परमानंद कुशवाहा
निवासीयान कंचनपुरा सतगुंवा तहसील लिधौरा जिला
टीकमगढ़ म0 प्र0 ------- अनावेदकगण

श्री ... 3 चतुर्वेदी ... द्वारा आज दि. 21.1.13 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0सं0
प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार लिधौरा
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 दिनांक 19-11-2012 जो कि प्रकरण
क्रमांक 3/अ-12/2012-013 मे पारित किया गया ।

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षणकर्तागण अपनी पुनरीक्षण याचिका मे सादर निम्न विनय करते है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार बताये गये है कि अनावेदकगण ने भूमिखसरा नम्बर 4011/1,4013/1 का सीमांकन व नापतौल करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर सीमांकन की कार्यवाही की गयी और भूमि खसरा नम्बर 4011/1 की भूमि के अंशभाग 0-200 पर आवेदक पुनरीक्षण कर्ता का कब्जा पाया जाना बताया गया सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा नक्शा फील्डबुक सहित अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लिधौरा के समक्ष पेश किया गया जिस सीमांकन को अधीनस्थन्यायालय द्वारा दिनांक 19-11-012 को स्वीकृत कर दिया गया है इसी आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका विधिसम्मत निराकरण हेतु पेश की जा रही है :-

आधार

1/- यह कि विद्वान तहसीलदार महोदय ने इस तथ्य पर विचार नही किया है कि

46

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–278–दो / 2013 जिला–टीकमगढ़

बृजलाल कुशवाह व अन्य विरूद्ध महिला फूला कुशवाहा व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार लिधौरा, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 3 / अ–12 / 2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 5/3/19 सदस्य	